



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

पत्र सं०: 1317 –मा०सं०-03/उनि०लि०/2013-9(9)मा०सं०-03/2009

दिनांक: 22.05.2013

कार्यालय ज्ञापन

उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत गृह पर फायरमैन के पद से पम्प अटेन्डेंट के पद पर 1989 में मर्षित/संविलीन पम्प अटेन्डेंट को दिनांक: 01.04.1984 से पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 1200-1800, उनके संविलीन/मर्षण की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तिथि, जो भी बाद में हो, से अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त अनुमन्यता/स्वीकृति दिनांक: 16.05.2012 से इस प्रतिबन्ध के साथ प्रभावी होगी कि उपर्युक्त मर्षण/संविलीन की तिथि से 15.05.2013 तक किसी भी प्रकार के अवशेष (Arrear) का भुगतान नहीं किया जायेगा, केवल वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त होगा।

3. वेतन निर्धारण पूर्व परिषदादेश संख्या-1744-पी/राविप-तीस-4पी/86, दिनांक: 30.11.1987 (संशोधनो सहित) 251-वे०प्र०-30/98-3 वे०प्र०/98, दिनांक: 06.08.1998 (संशोधनो सहित) एवं 320/मा०सं०-04/उनि०लि०/2009-43- मा०सं०-04/2008 दिनांक: 28.02.2009 (संशोधनो सहित) में निहित प्राविधानों/शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्र सं०: 1317-मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2013

तददिनांक :-


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० रा० वि० उ० नि० लि०, शक्ति भवन लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. निदेशक, (तकनीकी)/(वित्त)/(कार्मिक), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/(लेखा/सम्प्रेक्षा), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. कम्पनी सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक: 10.05.2013 को सम्पन्न 155वीं बैठक में पस्तुत एजेण्डा संख्या-16 पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।
5. मुख्य अभियन्ता, मानव संसाधन उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (कारपोरेट स्ट्रेटजी), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
7. पी०पी०एम०एम०/तापीय परिचालन/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा/आर०एण्ड एम०/वाणिज्य/ईधन, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/वरिष्ठ लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/प्रशासन, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

कमश:.....2.. पर

-
9. मुख्य अभियन्ता, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कासिमपुर अलीगढ़।
 10. कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 11. अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०-०१/०२/०३/०४/०५/०६)/टा०वा०सेल एवं सं०कार्य/रिफार्म/प्रशिक्षण उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 12. कट फाइल।

आज्ञा से,



(वी० पी० कटियार)

अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-०३)